(भारतसरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेलमंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड) (RAILWAY BOARD)
*****

COMMERCIAL CIRCULAR NO. 01 OF 2025

No.TC-II/2196/2024/PWD Policy New Delhi, dated 22.01.2025

The Principal Chief Commercial Managers
All Zonal Railways

Sub: Rationalization of nomenclature of Persons with Visual Impairment with total absence of sight

REF: 1. Relevant provisions of IRCA coaching Tariff No. 26 Part 1 (Vol.II)
2. Commercial Circular no. 04 of 2018 dated 12.01.2018

As per IRCA coaching Tariff No. 26 Part-1 (Vol II) and Commercial Circular no. 04 of 2018 dated 12.01.2018 concession is admissible to 4 categories of Persons with Disabilities including Persons with Visual impairment with total absence of sight.

2. Ministry of Railways has now decided to replace the words "Persons with Visual impairment with total absence of sight" with the following:

"Blindness" which means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-

(i). Total absence of sight; or

(ii). Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 by Snellen's chart in better eye with best possible corrections; or

(iii). Limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye.

3. Issuance of New Divyangjan ID cards / renewal of the existing Divyangjan ID cards for blindness should be done based on the revised definition of blindness, as above. A new concession certificate Proforma has been prepared for "Blindness" certification (Annexure – I). The issuance of new Divyangjan ID cards / renewal of the existing Divyangjan ID cards would continue to be done as per the existing procedure.

4. The "blindness" Railway Proforma certificate will be valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate. The validity of the Railway Divyangjan ID would be same as the "blindness" Railway Proforma certificate.

5. However, where applicant provides Unique Disability ID card (UDID)/ certificate issued in accordance with the instructions of Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE), for the issuance of Railway Divyangjan ID, instead of "blindness" Railway Proforma certificate, the validity of the Railway Divyangjan ID would be co-terminus with the validity of Unique Disability ID card (UDID)/ certificate. Only those Unique Disability ID card (UDID)/ certificate would be considered where the "Blindness" definition is same as defined by Railways in para 2 above or Visual impairment of 90% and above.

6. Concession certificates in Railway Proforma/Railway Divyangjan ID card already issued before 01.02.2025 for all the eligible 4 categories of PWD in pre revised format shall remain valid till its expiry period.

7. Revised concession certificate Proforma for Blindness & other eligible categories of Persons with Disabilities is enclosed herewith at annexure- I & II.

Above shall be implemented with effect from 01.02.2025.

There shall be no change in other Terms and conditions.

Necessary instruction may be issued to all concerned.

This is issued in concurrence with Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Vipul Singhal)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No.TC-II/2196/2024/PWD Policy New Delhi, dated 22.01.2025

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CEO & CRB, M(O&BD), Member Finance, Railway Board for information.
2. EDPG/MR, OSD/MR, JDPG/MOSR(S), office of MOSR(R) for information.
3. PED(Vig), PED(A), EDF(C), EDIP, DPM-II of Railway Board.
4. CMD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, near National Rail Museum, New Delhi for necessary Software changes.
5. CMD, IRCTC, 11th Floor, Statesmans House, B-148, Barakhambha Road, New Delhi-110 001.
6. MD/KRCL, Navi Mumbai.
7. PCCM/Northern Railway/New Delhi for arrangement of issue of correction slips to Coaching Tariff.
8. Secretary/Ministry of Social Justice and Empowerment for information.

(Vipul Singhal)
Director Passenger Marketing
Railway Board.

Encl.: Revised Railway concession certificate Proforma (2 pages).

Annexure – I

Railway Concession Certificate for "Blindness"

Paste passport Size Photograph Duly signed and Stamped by the Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. __________ whose particulars are furnished below is a bonafide person with disability "Blindness" as per definition where a person has any of the following conditions, after best correction (i.e. Persons having visual impairment of 90% and above)-

I. Total absence of sight; or

II. Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 by Snellen's chart in better eye with best possible corrections; or

III. Limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye.

Particulars:
a) Address: ________________
b) Father's/Husband's Name: ________________
c) Age: ________________
d) Sex: ________________
e) Nature of Handicap: (either of the above 3 categories): ________________
f) Signature or thumb impression
of the person seeking concession certificate: ________________

____
(Signature of Government Doctor)

Place: ____________
Date: ____________

____
Clear seal of Government Hospital

____
Seal containing full name and
Registration Number of the Doctor

(1) The certificate will be valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
(2) The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
(3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
(4) No alternation in the form is permitted. **This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also**. Railway Divyangjan ID card can also be prepared on the basis of UDID card/ certificate issued under instructions of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE). The requirement of the above Railway certificate would be dispensed in such case. In this case, the validity of the Railway Divyangjan ID would be co-terminus with the validity of that Unique Disability ID card (UDID)/ certificate.

Annexure – II

Concession Certificate for three categories of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for Orthopaedically Handicapped/ Paraplegic (person/patients) /Mentally retarded person/Person with Hearing and Speech impairment totally (Both afflictions together in the same person)

Paste passport size Photograph Duly signed and Stamped by the Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. ___________ whose particulars are furnished below is a bonafide:

- ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED / PARAPLEGIC (PERSON/ PATIENTS), WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT
- MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT
- PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*

Particulars:

a) Address: ___________________

b) Father's/Husband's Name: ___________________

c) Age: ___________________

d) Sex: ___________________

e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent): ___________________

f) Signature or thumb impression of the person seeking concession (not necessary for those with both hands missing or non-functional): ___________________

____

(Signature of Government Doctor)

Place: ___________________

Date: ___________________

___________________ ___________________

Clear seal of Government Hospital

Seal containing full name and Registration Number of the Doctor

***Strike out where not applicable.**

1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARPLEGIC (PERSON/PATIENTS) WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT or MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT or PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.

2) For MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of Orthopaedically/Paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.

3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.

4) No alternation in the form is permitted. **This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.**

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 01

सं.टीसी-II/2196/2024/पीडब्ल्यूडी पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 22.01.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषय: पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के नामावली का युक्तिकरण।

संदर्भ: 1. भारतीय रेल सम्मेलन (आईआरसीए) कोचिंग टैरिफ सं. 26 भाग-1 (जिल्द.II) के प्रासंगिक प्रावधान।
2. 2018 का दिनांक 12.01.2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04

भारतीय रेल सम्मेलन (आईआरसीए) कोचिंग टैरिफ सं. 26 भाग-1 (जिल्द-II) और 2018 के दिनांक 12.01.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04, के अनुसार पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगों की 4 वर्गों के लिए रियायत स्वीकार्य हैं।

2. रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि "पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित व्यक्ति" को निम्नलिखित शब्दों से बदला जाए:

"दृष्टिहीन" जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें सर्वोत्तम सुधार के बाद व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति हो –

(i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा
(ii) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन के चार्ट द्वारा 3/60 (या 10/200 से कम) से कम अथवा
(iii) बेहतर आंख में 10 डिग्री से कम के कोण (एंगल) को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

3. उपरोक्तानुसार, दृष्टिहीनों के लिए नए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करना/मौजूदा दिव्यांगजन पहचान पत्र का नवीनीकरण दृष्टिहीनता की संशोधित परिभाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। "दृष्टिहीन" की प्रमाणिकता के लिए एक नया रियायत प्रमाणपत्र प्रोफार्मा तैयार किया गया है (अनुलग्नक -I)। नए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करना/मौजूदा दिव्यांगजन पहचान पत्र का नवीनीकरण मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा।

4. "दृष्टिहीन" रेलवे प्रोफार्मा प्रमाणपत्र की वैधता निम्नलिखित रूप से होगी (i) 25 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों के मामलें में पांच वर्ष, (ii) 26 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों के मामले में दस वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मामले में, यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्ति के लिए आजीवन वैध रहेगा। प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र बनवाना होगा। रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र की वैधता "दृष्टिहीन" रेलवे प्रोफार्मा प्रमाणपत्र के समान होगी।

5. बहरहाल, जहां आवेदक रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए "दृष्टिहीन" रेलवे प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के बजाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार जारी किया गया विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) का उपयोग किया जाता है तो रेलवे दिव्यागजन पहचान पत्र की वैधता विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) समान होगा। केवल उन विशिष्ट विकलांगता

--2/-

पहचान पत्र (यूडीआईडी) / प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा जहां "दृष्टिहीन" की परिभाषा रेलवे द्वारा उपर्युक्त पैरा 2 में परिभाषित की गई परिभाषा के समान है या 90% और उससे अधिक की दृष्टि हीनता है।

6. संशोधन से पूर्व अर्थात 01.02.2025 से पहले दिव्यांगजन के सभी पात्र 4 श्रेणियों के लिए जारी किये गये रेल रियायत (सर्टिफिकेट) / रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र समाप्ति अवधि तक मान्य रहेंगे।

7. दृष्टीहीन एवं अन्य पात्र श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए संशोधित रियायत प्रमाणपत्र प्रोफार्मा अनुलग्नक- I एवं II में संलग्न है

उपर्युक्त 01.02.2025 से लागू होंगे।

अन्य नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

विपुल सिंघल

(विपुल सिंघल)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं.टीसी-II/2196/2024/पीडब्ल्यूडी पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 22 .01.2025

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य (परिचालन एवं वाणिज्य विकास), सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ।
2. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत /रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत /रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री के कार्यालय (आर) को सूचनार्थ।
3. रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता), प्रधान कार्यपालक निदेशक (ए), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), कार्यपालक निदेशक आईपी, निदेशक यात्री विपणन-II.
4. मुख्य प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के नजदीक, नई दिल्ली को आवश्यक साफ्टवेयर परिवर्तन के लिए।
5. मुख्य प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
6. प्रबंध निदेशक/ केआरसीएल, नवी मुंबई।
7. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/ उत्तर रेलवे/ नई दिल्ली को कोचिंग टैरिफ के शुद्धि पर्चियों को जारी करने की व्यवस्था करने हेतु।
8. सचिव/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सूचनार्थ।

विपुल सिंघल

(विपुल सिंघल)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

संलग्न: संशोधित रेलवे रियायत प्रमाणपत्र प्रपत्र (2 पृष्ठ).

नोट: हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के अर्थ में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।

"दृष्टिहीन" के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती ____________________ जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, परिभाषा के अनुसार "दृष्टिहीन" दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जहाँ किसी व्यक्ति की पूर्ण चिकित्सिकीय जांच के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो (अर्थात 90% और उससे अधिक दृष्टि बाधित वाले व्यक्ति) –

(i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा
(ii) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन के चार्ट द्वारा 3/60 (या 10/200 से कम) से कम अथवा
(iii) बेहतर आंख में 10 डिग्री से कम के कोण (एंगल) को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

विवरण:

क) पता: ____________________

ख) पिता/पति का नाम: ____________________

ग) आयु: ____________________

घ) लिंग: ____________________

ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (उपरोक्त 3 श्रेणियों में से कोई भी): ____________________

च) रियायत प्रमाण पत्र मांगने वाले
व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान: ____________________

____
(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________

____________________ ____________________

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर डॉक्टर का पूरा नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

(1) यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।

(2) फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।

(3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ **https://divyangjanid.indianrail.gov.in/** पर इस फार्म को भी अपलोड किया जा सकता है। रेलवे दिव्यांगजन आईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) के निर्देशों के तहत जारी यूडीआईडी कार्ड/प्रमाण पत्र के आधार पर भी तैयार किया जा सकता है। ऐसे मामले में उपरोक्त रेलवे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। इस मामले में, रेलवे दिव्यांगजन आईडी की वैधता उस विशिष्ट विव्यांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी)/ प्रमाण पत्र की वैधता के समान होगी।

*****

दिव्यांगजन की तीन श्रेणियों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) / मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फॉर्म

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती ____________________ जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में :

- शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज है, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकता
- मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकता
- पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) है*

विवरण:

क) पता: ____________________

ख) पिता/पति का नाम: ____________________

ग) आयु: ____________________

घ) लिंग: ____________________

ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (डॉ० द्वारा यह लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी है या स्थायी): ____________________

च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (जिनके दोनो हाथ नहीं है या काम नहीं करते, उनके लिए आवश्यक नहीं) : ____________________

____

(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________

____________________ ____________________

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर डॉक्टर के पूरे नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

*जहां लागू न हो उसे काट दें।

1) यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज), जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।

2) मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।

3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, तो मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ **https://divyangjanid.indianrail.gov.in/** पर इस फार्म को भी अपलोड किया जाना है

*****